न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 31 / 2021 **दायर दिनांकः 03 / 08 / 2021**

उनवान

1. बद्रीप्रसाद आयु 68 वर्ष पुत्र कल्याण जाति तेली निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट
बाबत नाम दुरूस्ती पिता

उपस्थिति :—
प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 12 / 10 / 2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अटरू पटवार हल्का अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 322 का ख0नं0 519 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 520 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 665 का रकबा 0.77 है0, ख0नं0 74 का रकबा 0.98 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.89 है0 आराजी प्रार्थी के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबंदी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम कल्याण के स्थान पर रामकल्याण गलत दर्ज कर दिया हैं प्रार्थी के दस्तावेजों आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैक पास बुक एवं नकल जमाबन्दी ग्राम खेडलीगंज की खाता संख्या 116 में प्रार्थी के पिता का सही नाम कल्याण दर्ज है। इसलिए प्रार्थी के पिता का नाम रामकल्याण के स्थान पर सही नाम कल्याण दर्ज किया जावे। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम रामकल्याण के स्थान पर

सही नाम कल्याण दर्ज करवाया जाना संभव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम सही दर्ज नही किया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा, अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम रामकल्याण के स्थान पर सही नाम कल्याण दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम रामकल्याण के स्थान पर सही नाम कल्याण दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 का शपथ पत्र पेश किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम एवं माल अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 322 का ख0नं0 519 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 520 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 665 का रकबा 0.77 है0, ख0नं0 74 का रकबा 0.98 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.89 है0 में प्रार्थी के पिता का नाम रामकल्याण के स्थान पर सही नाम कल्याण दर्ज किया जावे।

रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम अटरू संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 322 की कुल किता 4 का कुल रकबा 1.89 है0 आराजी बद्रीप्रसाद पुत्र रामकल्याण के दर्ज खाता है। जमाबन्दी संवत 2074–2077 ग्राम खेडलीगंज के खाता संख्या 116 किता 3 रकबा 2.67 है0 आराजी बद्रीप्रसाद पुत्र कल्याण के दर्ज खाता है। अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आयकर विभाग का पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक डायरी बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 में प्रार्थी का नाम बद्रीप्रसाद व उसके पिता का नाम कल्याण दर्ज है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी के पिता का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 322 का ख0नं0 519 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 520 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 665 का रकबा 0.77 है0, ख0नं0 74 का रकबा 0.98 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.89 है0 में खातेदार बद्रीप्रसाद के पिता का नाम रामकल्याण के स्थान पर **कल्याण** उर्फ रामकल्याण राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां